



गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

(केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 क्रमांक 25 के अंतर्गत स्थापित केन्द्रीय विश्वविद्यालय)

GURU GHASIDAS VISHWAVIDYALAYA, BILASPUR (C.G.)

(A Central University established by the Central Universities Act, 2009 No.25 of 2009)

www.ggu.ac.in Ph. No. 07752 - 260021, 260342, Fax : 07752-260154

क्रमांक 201 / अका. / डीन / 2015

बिलासपुर, दिनांक 01/05/2015

:: अधिसूचना ::

केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 क्रमांक 25 की धारा 13 के अंतर्गत परिनियम क्रमांक 05 (01) के प्रावधानानुसार प्रो०मुकेश कुमार सिंह, आचार्य (Industrial & Production Engineering) Institute of Technology, Guru Ghasidas Vishwavidyalaya, Bilaspur को मान. कुलपति जी द्वारा स्कूल ऑफ स्टडीज "इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नालॉजी" का अधिष्ठाता नियुक्त किया जाता है।


यह नियुक्ति 03.05.2015 से 02.05.2018 तक अर्थात् 03 वर्ष के कार्यकाल के लिये की गई है।

आदेशानुसार,


कुलसचिव(कार्यवाहक)

प्रतिलिपि:-

1. कुलपति जी के निज सहायक को माननीय कुलपति जी के सूचनार्थ प्रेषित।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/कक्ष अधिकारी, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर की ओर सूचनार्थ।
3. प्रो०मुकेश कुमार सिंह, आचार्य (इण्डस्ट्रीयल प्रोडक्शन इंजी) विश्वविद्यालय प्रौद्योगिकी संस्थान, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. डायरेक्टर, प्रौद्योगिकी संस्थान, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5. अधिष्ठाता, छात्र कल्याण, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
6. विभागाध्यक्ष, संगणक विज्ञान विभाग की ओर इस आशय के साथ प्रेषित है कि विश्वविद्यालय वेबसाइट में अपलोड करने का कष्ट करें।
7. परीक्षा नियंत्रक, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
8. उ.कु.स, परीक्षा./स.कु.स, गोपनीय/प्रशासन, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
9. कार्यालय प्रति।


उप-कुलसचिव(अका.)